न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्यासित:– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
308/24	29.11.2024	28/01/25

उनवान

1. मनोहरलाल पुत्र थद्धामल जाति सिन्धी (खत्री) निवासी एलआईसी के पास मातौर रोड खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर खैरथल तहसील खैरथल।

:–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति:– वादी की ओर से श्री रामवतार कपूर वकील।
प्रतिवादी की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

आराजी खसरा नं0 2650 रकबा 1.1600हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है। जिस उपरोक्त आराजी में वादी का गलत नाम मन्नूलाल अंकित हो रहा है। सही नाम मनोहरलाल अंकित होना चाहिए। जो नाम आगे वाद मे विवादित नाम कहलावेगा।

वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल जाति सिन्धी (खत्री) निवासी मातौर हाल आबाद एल आई सी के पास मातौर रोड वार्ड नं0 13 खैरथल तहसील खैरथल है। जिस आधार कार्ड में वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल पर सही नाम से जारी किया हुआ है वो वादी आयकर विभाग का इन्कम टैक्स होल्डर है आयकर विभाग से वादी के सही नाम मनोहरलाल से स्थाई लेखा संख्या बीआईपीपीएल 6214 डी जारी हो रहा है वो बैंक पास बुक में भी वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल के नाम से जारी हो रहा है वो पहचान पत्र में भी वादी के सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल के नाम से जारी हो रहा है। वो राशन कार्ड भी वादी के सही नाम से ही जारी हो रहा है। वह सही नाम मनोहरलाल के नाम से अर्सा करीब 10 साल पूर्व से जारी हो रहा है। इसे बोल चाल की भाषा में मन्नूलाल कहते है।

वादी का पूर्व का ग्राम मातौर तहसील मुण्डाव है वो बाद में मनोहरलाल पुत्र थद्धामल खैरथल में आबाद हुआ है वो ग्राम चकनासराबाद खैरथल में आराजी खसरा नं0 2663 रकबा 0.3400हे0, 2664 रकबा 0.3400हे0, 2665 रकबा 0.1800हे0 अपने हिस्सेनुसार थद्धामल पुत्र टेकुमल दर्ज है जिस आराजीयात जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 में भी सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल जाति सिन्धी निवासी मातौर तहसील मुण्डावर का सही नाम अंकित हो रहा है। अतः वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल है न कि मन्नूलाल है। वादी के पिता थद्धामल की मृत्यु के पश्चात् विरासत इन्तकाल में वादी के भाईयो ने वादी का नाम मल्लूमल अंकित करा दिया। वादी को बोल चाल की भाषा में वादी का गलत नाम अंकित करा दिया गया। जिन सभी उपरोक्त दस्तावेजो से जाहिर है कि वादी का सही नाम मनोहरलाल है ना कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मन्नू है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में जो नाम मन्नूलाल है वह गलत है काबिले दुरूस्ती है वो सही नाम मनोहरलाल दर्ज किये जाने योग्य है।

मृतक थद्धामल के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार इन्तकाल संख्या 3680 खसरा नं0 2650 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम खैरथल वाके ग्राम खैरथल में मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार इन्तकाल संख्या 3680 दिनांक 20.03.2006 के अनुसार जमाबंदी संवत 2068 लगायत 2071 में वाके ग्राम खैरथल में वादी का गलत नाम मन्नूमल अंकित कर दिया। जबकि वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल का नाम अंकित होना चाहिए।

थद्धामल की पुत्रीयो ने अपना 3/7 हिस्सा का हक त्याग रमेशचन्द मन्नूमल उर्फ मनोहरलाल व सन्तुलाल व काशमल के हक में कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड सम्वत 2059 से 2061 में अमल हो रहा है।

मिन वादी मनोहरलाल छठी फेल है जो मात्र हस्ताक्षर करता है। वादी को ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण कानून कायदो की कतई जानकारी नहीं है। तथा वादी के भाईयों द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड में गलत नाम मन्नू दर्ज करा दिया गया। क्योंकि गांव में वादी को मनोहरलाल भी कहते है वो मन्नूमल भी कहते थे दोनों एक ही नाम है जिनसे वादी को गांव में पहचाना जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण मिन वादी ना तो आराजी का बेचान कर सकता है ना ही आराजी को वित्तिय संस्था आदि में रहन रख कर ऋण आदि ले सकता है सही प्रकार से आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है गलत नाम अंकित रहने से मिन वादी के अधिकारो के जायल होने का अन्देशा है, इसलिए वादी सही नाम को दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

अत: प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

अ– डिक्री दुरूस्ती नाम इस अमर से जारी की जावे कि आराजी खसरा नं0 2650 रकबा 1.1600हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा में स्थित है में वादी का जो गलत नाम मन्नूलाल अंकित हो रहा है जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 1078 में वादी का नाम गलत अंकित हो रहा है वह गलत है उस गलत नाम मन्नूलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मनोहरलाल हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। डिक्री दुरूस्ती नाम इसी प्रकार जारी फरमाई जावे।

ब– खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो अता फरमाई जावे।

दावा वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी ने जवाब पेश नहीं किया अत: जवाब प्रतिवादी बंद किया जाकर वादी की साक्ष्य ली गई। वादी ने बतौर साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्लू–1 मनोहरलाल पुत्र थद्धामल व पीडब्लू–2 प्रकाशचन्द पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–4 हाल जमाबंदीयात, प्रदर्श–5ए नकल राशनकार्ड, प्रदर्श–6ए नकल बैंक पासबुक यूको, प्रदर्श–7ए नकल पहचान पत्र, प्रदर्श–8ए नकल पेनकार्ड, प्रदर्श–9ए नकल आधार कार्ड, प्रदर्श–10ए नकल मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–11 नामान्तकरण, प्रदर्श–12 जमाबंदी सं0 2068–2071, प्रदर्श–13 जमाबंदी खतौनी, प्रदर्श–14 लेटर पैड न0पा0 खैरथल वार्ड पार्षद वार्ड नं0 18 पेश किये है। वादी की साक्ष्य बंदी की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़... (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का सही नाम हाल दस्तावेजात के अनुसार मनोहरलाल हाल रिकार्ड में किया जाकर गलत नाम मन्नूलाल को हजफ किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी हाल जमाबंदी सं0 2075–78 खाता सं0 नया 815 के वाके ग्राम खैरथल के अनुसार वादी का नाम मन्नूलाल पुत्र थदामल हि0 1/4 जाति खत्री सा0 मातौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–1 है। उपरोक्त विवादित आराजी के विरासत इंतकाल सं0 3680 में वादी के बोल चाल वाले नाम मन्नूलाल के नाम से स्वीकार वो दर्ज हुआ है जो प्रदर्श–11 है। पत्रावली में संलग्न अन्य हाल आराजी जमाबंदीयात वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर के अनुसार वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र थद्धामल दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–2 लगायत प्रदर्श–4 है। तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का नाम मनोहरलाल अंकित है जो वादी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श कराये गये है। तथा प्रस्तुत लैटर पैड वार्ड पार्षद वार्ड नं0 18 के अनुसार मन्नूलाल पुत्र थदामल व मनोहर लाल पुत्र थदामल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादी की सही नाम मनोहरलाल है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मन्नूलाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मनोहरलाल किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 हाल 2650 रकबा 1.1600हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल में वादी के गलत नाम मन्नूलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का सही नाम मनोहरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पर्चाडिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्यासीन:– श्री मनीष कुमार जाटव आर०ए०एस

दावा सं०	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
308 / 24	29.11.2024	28.07.2025

उनवान

1. मनोहरलाल पुत्र थद्धामल जाति सिन्धी (खत्री) निवासी एलआईसी के पास मातौर रोड खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज०। :–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर खैरथल तहसील खैरथल।

:–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 89 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति:– वादी की ओर से श्री रामवतार कपूर वकील।
प्रतिवादी की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>पर्चाडिकी</u>

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं० हाल 2650 रकबा 1.1600हे० वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल में वादी के गलत नाम मन्नूलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का सही नाम मनोहरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner